इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2015—आषाढ़ 31, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 16214-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2015 को पुर:स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१५ है.

अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में अनुक्रमांक १५ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु-क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
"१६.	पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी.	सोनल एजूकेशन सोसायटी, ग्राम तेहरा, हाथरस रोड, पोस्ट सोनई, जिला मथुरा, उ. प्र.	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	पी. के. विश्वविद्यालय, ग्राम थानरा, तहसील करैरा, एन. एच.-25 शिवपुरी.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१७.	मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर.	भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, महू-नीमच रोड, भंवरलाल नाहटा मार्ग, मंदसौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मंदसौर विश्वविद्यालय, बायपास स्क्वायर, रेवास देवड़ा रोड, मंदसौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१८.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर.	मेडीकेप्स चेरिटेबल ट्रस्ट, २०१, पुष्परत्न पैराडाइज, ९/५ न्यू पलासिया, इन्दौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, ए. बी. रोड, पिग्दाम्बर राउ, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा. उक्त उपबंध के प्रकाश में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात् :—पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर तथा मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर में स्थापित करने की अनुशंसा की है. उक्त अधिनियम की धारा ६ के प्रकाश में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को एक आशय पत्र जारी कर दिया है. उक्त अधिनियम की धारा-९ में यह उपबंध है कि विनियामक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचारण से संतुष्ट होने के पश्चात्, उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाए.

२. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख २० जुलाई, २०१५

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 298] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 23 जुलाई 2015—श्रावण 1, शक 1937

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2015

क्र. 5075-211-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No. 10 OF 2015

THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN) SANSHODHAN VIDHEYAK, 2015

A Bill further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the sixty-sixth year of the Republic of India as follows:—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Sanshodhan Adhiniyam, 2015.

Amendment of Schedule. 2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007) after serial number 15 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely:—

S. No. (1)	Name of Private University (2)	Name of sponsoring body (3)	Mode of forming sponsoring body (4)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
"16.	P. K. University Shivpuri.	Sonal Education Society, Village Tehra, Hathras Road, Post Sonai, District Mathura, U.P.	Registered under the Societies Registration Act, 1860 (No. 21 of 1860).	P. K. University, Village Thanra, Tehsil Karera, N.H.-25, Shivpuri.	Whole of Madhya Pradesh.
17.	Mandsaur University, Mandsaur.	Bhanwarlal Nahta Smriti Sansthan, Mhow-Neemuch Road, Bhanwarlal Nahta Marg, Mandsaur.	Registered under the Madhya Pradesh Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	Mandsaur University, By pass Square, Rewas Devda Road, S. H. 31, Mandsaur.	Whole of Madhya Pradesh.
18.	Medi-Caps University, Indore.	Medi-Caps Charitable Trust, 201, Pushparatna Paradise, 9/5 New Palasia, Indore.	Registered under the Madhya Pradesh Public Trust Act, 1951 (No. 30 of 1951).	Medi-Caps University, A.B. Road Pigdamber Rau, Indore.	Whole of Madhya Pradesh".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In Section 5 of the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), it is provided that the Regulatory Commission constituted under the Act shall evaluate the proposal of establishment or Private University in the State. In the light of the said provision, the Regulatory Commission has recommended to establish the Private Universities, namely, P. K. University Shivpuri, Mandsaur University, Mandsaur and Medi-Caps University, Indore. In the light of Section 6 of said Act, the State Government has issued a letter of intent to the sponsoring body of the Universities, with regard to the establishment of the said Universities. Section 9 of the said Act provides that after being satisfied on considering the report submitted by the Regulatory Commission, Private Universities shall be established by incorporating the name and description thereof in the Schedule to the said Act.

3. Hence this Bill.

Bhopal :
Dated, the 20th July 2015.

UMASHANKAR GUPTA
Member-in-Charge.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.